वाद नं O.S. 53/22 वर्ष

पक्षकार पन्ना देवी बनाम प्रेमराज

तारीख हुक्म	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदे
3/9/25	आज मामला उपस्थित उप० / वादी स्वयं सुरेन्द्र उपस्थित है परन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी ने तहसील कार्यालय में कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नकलें न मिल पाना बताया तथा एक माह अवसर चाहते हुए निवेदन किया है करें किसी कारणवश अगली पेशी तक नकलें नहीं मिल सकीं तो वे प्रतिपरीक्षण पूर्ण कर लेंगे। आगामी पेशी पर वादी अपने समस्त शेष गवाहान का साक्ष्य-पत्र पेश करे। अधिवक्ता वादी को हर्जे का ऐतराज है। 1000 रुपये हर्जे पर यह अवसर दिया जाता है। पत्रावली करते अदायगी हर्जा / साक्ष्य वादी दि० 11/9/25 को पेश हो।	

जिला न्यायाधीश
सवाई माधोपुर (राज.)